20/11/23 आज पत्रावली पेश हुई। पक्षों से पेशी ली गई। चूंकि मूल वाद में निर्णय हो गया है तो अ.ज. 212 प्रा. पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः 212 प्रा. पत्र फैसला अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashwant Meena
Date: 2024.01.23 11:51:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner